रोजगार पक्ष

युवा क्षमता विकास योजना

संक्षेपिका

प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं पर युवाओं के उपर आने वाले व्यय में प्रत्यक्ष कमी हो एवं युवा प्रदेश के विकास में भागीदार हो। इस हेतु वर्ष 2015–16 से **''युवा क्षमता विकास योजना''** प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान हैं :–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट करते हुये छूट की पूर्ति इस योजना से किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में युवा क्षमता विकास योजना हेतु राशि रूपये 2.60 (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) का प्रावधान किया गया था। जिसमें से राशि रूपये 1,44,53,000/– (रूपये एक करोड़ चौवालीस लाख तिरपन हजार मात्र) का व्यय किया जाकर कुल 1,37,346 युवाओं को लाभांवित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में युवा क्षमता विकास योजना हेतु राशि रूपये 9.10 (रूपये नौ करोड़ दस लाख मात्र) का प्रावधान किया गया है।

उपसंचालक रोजगार